संख्या-27/2022/164/12-5-2022/सा0-1/2019

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3.समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल,2022

विषयः- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के सत्यापन हेतु सोशल आडिट कराये जाने के संबंध में।

महोदय

आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थीयों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में योजना का सोशल आडिट कराया जाना है। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थीयों के सत्यापन हेतु सोशल आडिट के माध्यम से कार्यवाही की जाए ताकि ग्रामसभा द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों की सूची अवलोकन कर अपात्र लाभार्थीयों के बारे में बताया जा सके और अब तक योजना के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थीयो का चिन्हाकंन करते हुए लाभ प्रदान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियो के सोशल आडिट द्वारा सत्यापन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जा रहे है:-

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सोशल आडिट के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	उप कृषि निदेशक	सचिव
4.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
5.	समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त समिति गुणवत्तापूर्ण सोशल आडिट के ससमय क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति के सचिव द्वारा जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में सोशल आडिट का ग्राम पंचायतवार कैलेण्डर तैयार कराकर जारी कराया जायेगा।

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थीयों का सोशल आडिट 01.05.2022 से 30.06.2022 तक किया जाना है। अतः ग्राम पंचायतवार कैलेण्डर किस प्रकार तैयार किया जाए कि सोशल आडिट की कार्यवाही 30.06.2022 तक अवश्य पूर्ण हो जाए।

3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थीयों की सोशल आडिट हेतु लाभार्थी सूची पी0एम0 किसान पोर्टल के ग्राम पंचायत डैसबोर्ड अथवा उप कृषि निदेशक की लागिन से प्राप्त कर ग्राम पंचायत में चस्पा की जाऐगी।

4. ग्राम पंचायत में सोशल आडिट के समय प्राविधिक सहायक/ए0टी0एम0/ बी0टी0एम0, लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी/ ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अभिलेखों सहित अवश्य उपस्थित रहेगें।

5. जनपद के उप कृषि निदेशक कृषि विभाग के कर्मियो, खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी तथा तहसीलदार लेखपालो की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करेंगें

6. सोशल आडिट का प्रशिक्षण उप सम्भागवार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।

7. ग्राम पंचायत में सोशल आडिट निम्न चरणों में पूरी की जायेगी-

प्रथम-	ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा करना।
द्वितीय-	ग्राम सभा में लाभार्थियों की सूची पढ़कर सुनाना।
तृतीय-	द्वितीय चरण उपरान्त अपात्र/छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करना (प्रारूप-1 एवं 2) तैयार की गई सूचियो पर सभी उपस्थित कर्मियो के हस्ताक्षर कराए जायेंगे।
चतुर्थ-	पात्र लाभार्थीयो का पी0एम0किसान पोर्टल के ओपेन सोर्स पर पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही।

- ग्राम सभा में सूची पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी, जो भूमिहीन है अथवा मृतक हो गये है, अथवा अन्य कारणो से अपात्र है को चिन्हित किया जाएगा। भूमिहीन के प्रकरण में मौके पर उपस्थित लेखपाल सत्यापन करेगें तथा मृतक लाभार्थीयो का मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाएगा। मृतक लाभार्थी के वारिसान का कृषि भूमि उनके नाम हस्तांरित हो जाने की दशा में पात्रता के आधार पर पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र भरवाते हुए ओपन सोर्स से पंजीकरण कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- सूची मे ऐसे परिवार (पति पत्नी एवं नाबालिग बच्चे) जिनमे एक से अधिक व्यक्ति पी0एम0किसान निधि का लाभ प्राप्त कर रहें है, का चिन्हीकरण करते हुए अन्य सदस्यो का स्टाप पेमेंन्ट करने हेतु कार्यवाही की जाऐगी।
- योजना के प्रारम्भ में पोर्टल पर ग्रामों के तहसीलवार मैपिंग में कतिपय त्रुटियो के कारण एक तहसील के ग्राम अन्य तहसील में प्रदर्शित हो रहे थे, ऐसी स्थिति मे कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से ऐसे ग्रामो का सोशल आडिट वास्तविक तहसील में ही करायेगे।
- यह भी संभव है कि किसी एक ग्राम की उपलब्ध सूची मे ऐसे कृषक भी हो जो वास्तव में उस ग्राम, तहसील अथवा जनपद के निवासी न होकर किसी अन्यत्र स्थान के निवासी है, परन्तु उनकी भूमि उस ग्राम में है। ऐसे कृषको को आवासीय पते के आधार पर अपात्र न किया जाये अपितु सम्बंधित ग्राम के भू-अभिलेखो के आधार पर इनकी पात्रता की जांच करते हुऐ निर्णय लिया जाये।

8. श्रेणी-2 के अधिकारियों को निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु विकास खण्डवार नोडल अधिकारी नामित किया जायें। नामित अधिकारी आवंटित विकास खण्डो में निर्धारित पंचाग के अनुसार सोशल आडिट कार्यक्रम का निरीक्षण करेगें।

9. सोशल आडिट की प्रगति सूचना प्रारुप तीन पर उप कृषि निदेशक समिति के अध्यक्ष के माध्यम से कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

10. सोशल आडिट की कार्यवाही का विवरण एवं उपस्थिति का विवरण एक पंजिका में तैयार किया जायेगा।

<u>पात्रता एवं अपात्रता</u>

<u>पात्रता-</u> सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके नाम से कृषि योग्य भूमि है वे योजना के लिए पात्र है।

<u>अपात्रता-</u>

1. संस्थागत भूमि-स्वामी, तथा
2. कृषक परिवार जिनके एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य है-

क. भूतपूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ,

ख. भूतपूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/ राज्य मंत्री, लोकसभा/ राज्य सभा /विधान सभा/ राज्य विधान परिषद के पूर्व/ वर्तमान सदस्य, भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगम के महापौर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष।

ग. केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयो/ कार्यालयों/ विभागों तथा इसकी फील्ड इकाईयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/ स्वायत संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी।(मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ समूह-डी कर्मचारियों को छोडकर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

घ. सभी रिटार्यड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10000/-रू0 या उससे अधिक है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ समूह-डी कर्मचारियों को छोडकर)

ड़. पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति

च. डाक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायो के साथ पंजीकृत व्यक्ति है या अभ्यासरत ।

<u>प्रारूप-1</u> (अपात्र कृषकों का विवरण)

जनपद का नाम.....

क्रम सं0	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	पी0एम0किसान आई0डी0	आधार नं0	अपात्रता का कारण

<u>प्रारूप-2</u> (सोशल आडिट में पाए गये नये पात्र लाभार्थीयो का विवरण)

जनपद का नाम.....

क्रम सं0	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	आधार नं0	बैंक खाता संख्या	बैंक शाखा का नाम	IFSC कोड	अन्य विवरण

01.02.2019 के उपरान्त केवल विरासत के आधार पर ही नये भूमि धारक योजना के लिए पात्र होगे।

<u>प्रारूप-3</u> (सोशल आडिट की जनपदवार संकलित सूचना)

जनपद का नाम.....

क्रम सं0	जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायतो की संख्या	सोशल आडिट पूर्ण ग्रामो की संख्या	प्रतिभाग किये राजकीय कर्मियो की संख्या	प्रतिभाग किये किसानो की संख्या	सोशल आडिट में पाये गये लाभ प्राप्त अपात्रो की संख्या	सोशल आडिट में चिन्हित नये पात्र लाभार्थीयों की संख्या	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समन्वय-</u>

राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु राज्य स्तरीय पी0एम0किसान सेल का गठन किया गया है जिसके द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा

सभी उप कृषि निदेशक जनपदों में समन्वय स्थापित कर ससमय अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न करायेगें।

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

अमर चन्द्र

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।